भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1876
सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

स्व-नियोजित युवाओं हेतु मुद्रा ऋण

1876. डॉ. संघमित्रा मौर्यः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य-वार कितने नियोजित और स्व-नियोजित युवा उद्यमी बने हैं;

(ख) ऐसे युवाओं को प्रदान किए गए करोड़ों रुपये के मुद्रा ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान अखबार में 21-02-2023 को प्रकाशित समाचार के अनुसार, उक्त क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार पाने और उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़ों का स्रोत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। पीएलएफएस के अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कुल रोजगार में से स्व-नियोजित कामगारों का अनुमानित प्रतिशत 55.8% था। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल रोजगार में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (अर्थात रोजगार) और स्व-नियोजित कामगारों का अनुमानित प्रतिशत अनुबंध-I पर है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। अप्रैल 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से दिनांक 20.01.2023 तक, 38.53 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 (दिनांक 20.01.2023 तक) के दौरान पीएमएमवाई के तहत ऋणों का राज्य//केंद्र शासित प्रदेश वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। इसके साथ-साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर कुल रोजगार में उद्योग-वार स्व-रोजगार का प्रतिशत भाग अनुबंध-III में दिया गया है।

*****

अनुबंध- I

लोक सभा के दिनांक 13.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल रोजगार में कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं स्व-नियोजित कामगारों का प्रतिशत

क.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)	कुल रोजगार में स्व-रोजगार का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	57.8	43.4
2	अरुणाचल प्रदेश	47.1	71.9
3	असम	52.1	61.2
4	बिहार	39.3	59.0
5	छत्तीसगढ	64.9	66.8
6	दिल्ली	42.3	31.1
7	गोवा	41.6	37.1
8	गुजरात	56.8	54.5
9	हरियाणा	42.5	44.6
10	हिमाचल प्रदेश	71.2	69.1
11	झारखंड	60.7	66.3
12	कर्नाटक	53.0	48.1
13	केरल	48.8	38.3
14	मध्य प्रदेश	60.7	63.4
15	महाराष्ट्र	55.9	45.7
16	मणिपुर	40.6	64.3
17	मेघालय	60.5	47.7
18	मिजोरम	48.9	68.8
19	नागालैंड	58.4	63.5
20	ओडिशा	52.4	60.1
21	पंजाब	48.5	44.3
22	राजस्थान	54.7	68.9
23	सिक्किम	69.9	55.2
24	तमिलनाडु	55.8	36.8
25	तेलंगाना	58.1	63.9
26	त्रिपुरा	50.1	52.0
27	उत्तराखंड	48.7	59.8
28	उत्तर प्रदेश	50.1	70.9
29	पश्चिम बंगाल	52.7	49.9
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	59.2	42.5
31	चंडीगढ़	42.2	26.7
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	65.8	23.1
33	जम्मू और कश्मीर	58.3	62.4
34	लद्दाख	58.1	55.4
35	लक्षद्वीप	37.2	23.4
36	पुडुचेरी	51.2	34.7
	अखिल भारत	**52.9**	**55.8**

स्रोत: पीएलएफएस, 2021-22, एमओएसपीआई

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक 13.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (क) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23 (दिनांक 20.01.2023 तक)		
		खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,901	77.40	76.53	2,791	102.33	98.85
2	आंध्र प्रदेश	11,17,922	11,829.82	11,445.42	8,43,053	11,268.62	11,009.87
3	अरुणाचल प्रदेश	5,705	90.50	86.51	9,985	174.90	165.22
4	असम	6,82,889	4,866.50	4,577.28	1,66,620	2,764.55	2,644.08
5	बिहार	66,78,155	32,096.95	30,725.07	39,97,587	23,091.99	22,027.16
6	चंडीगढ़	14,926	281.66	273.03	12,966	230.48	222.13
7	छत्तीसगढ	9,70,396	5,929.49	5,797.46	5,81,378	4,999.80	4,837.18
8	दादरा और नगर हवेली	3,691	50.42	49.34	903	31.77	29.92
9	दमन और दीव	706	19.95	18.91	824	29.68	27.82
10	दिल्ली	1,94,835	2,616.58	2,559.59	1,46,055	2,346.69	2,296.89
11	गोवा	35,950	491.36	472.87	26,302	495.10	473.10
12	गुजरात	15,90,960	12,152.39	11,990.04	10,25,342	11,093.38	10,793.33
13	हरियाणा	10,57,963	7,768.34	7,574.18	7,51,042	6,503.82	6,309.61
14	हिमाचल प्रदेश	1,07,556	2,152.58	2,027.43	1,07,901	2,337.79	2,283.43
15	झारखंड	17,77,882	8,817.00	8,615.43	12,77,303	7,090.20	6,906.81
16	कर्नाटक	42,98,481	28,695.29	28,374.92	36,19,463	24,839.84	24,461.80
17	केरल	16,20,168	11,698.12	11,549.58	12,99,658	10,508.01	10,212.66
18	लक्षद्वीप	725	16.66	16.47	1,161	18.70	18.63
19	मध्य प्रदेश	32,31,804	18,814.95	18,218.44	20,54,411	14,625.26	13,894.14
20	महाराष्ट्र	41,58,052	25,797.74	25,416.48	33,19,449	23,349.08	22,972.10
21	मणिपुर	74,138	413.42	379.20	25,064	361.91	343.45
22	मेघालय	16,892	211.84	204.01	13,768	211.62	201.77
23	मिजोरम	11,396	211.29	192.30	13,966	261.31	253.46
24	नागालैंड	15,191	229.00	209.49	9,087	232.75	215.87
25	ओडिशा	36,70,907	16,900.00	16,557.27	21,48,364	12,099.28	11,889.32
26	पांडिचेरी	1,31,525	801.43	795.30	78,649	554.18	547.51
27	पंजाब	11,09,810	8,179.96	7,926.06	7,95,047	7,410.42	7,123.80
28	राजस्थान	26,67,998	18,999.20	18,728.94	16,91,460	14,389.34	14,051.35
29	सिक्किम	11,059	162.54	156.89	5,801	121.48	115.43
30	तमिलनाडु	56,25,146	32,477.55	32,262.94	42,62,959	27,786.34	27,590.32
31	तेलंगाना	5,33,545	6,168.85	6,010.47	2,96,160	4,918.46	4,767.20
32	त्रिपुरा	3,57,304	2,496.63	2,445.73	1,47,595	933.28	900.32
33	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	2,62,645	5,788.31	5,696.54	2,39,912	5,422.46	5,325.99
34	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	8,176	233.79	231.55	7,675	224.24	222.28
35	उत्तर प्रदेश	57,87,982	33,663.73	32,850.80	42,50,046	30,814.93	29,896.79
36	उत्तराखंड	3,33,914	3,015.89	2,939.91	2,91,005	2,898.63	2,812.51
37	पश्चिम बंगाल	56,27,231	34,893.20	33,949.81	24,85,198	18,206.27	17,947.57
	अखिल भारत	**5,37,95,526**	**3,39,110.33**	**3,31,402.19**	**3,60,05,950**	**2,72,748.89**	**2,65,889.67**
स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआईएस) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार							

अनुबंध- III

लोक सभा के दिनांक 13.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति पर कुल रोजगार में उद्योग-वार स्वरोजगार का प्रतिशत हिस्सा

क्र.सं.	**एनआईसी 2008 के अनुसार उद्योग**	**कुल रोजगार में स्वरोजगार का प्रतिशत हिस्सा**
1.	कृषि	78.2
2.	खनन और उत्खनन	8.7
3.	उत्पादन	45.0
4.	विद्युत, जल, आदि	16.7
5.	निर्माण	12.6
6.	व्यापार, होटल और रेस्तरां	27.7
7.	परिवहन, भंडारण और संचार	70.8
8.	अन्य सेवाएं	48.5
9.	सभी	57.3
10.	कृषि	22.4
11.	खनन और उत्खनन	45.2
	उत्पादन	**55.8**

स्रोत: पीएलएफएस, 2021-22, एमओएसपीआई